

पत्रावली कापडा 3/5/17 का पत्र है

480

18 <sup>4</sup>/<sub>17</sub>

पत्रावली पत्र / वही का अक्षरों का प्रमाण  
पत्रावली कापडा 3/5/17 का पत्र है

490

3 <sup>5</sup>/<sub>17</sub>

पत्रावली पत्र / वही का अक्षरों का प्रमाण  
पत्रावली कापडा 15/6/17 का पत्र है

500

15 <sup>6</sup>/<sub>17</sub>

पत्रावली न्याय कापडा का प्रमाण  
पत्रावली कापडा 11/7/17 का पत्र है

510

4 <sup>7</sup>/<sub>13</sub>

पत्रावली-मात्र आपके द्वारे अभियान के  
प्रतिवाही रजिस्ट्रार के द्वारा प्रमाण उपलब्ध

वादी प्रतिवादी  
द्वारा अपने पहचान के रूप में आधारकार्ड  
संग लोकर कार्ड की स्वयंसांगित छाया प्राप्त करवा  
की। वादी प्रतिवादी को लुका पखारी द्वारा सभी  
बेना जारी किया। वादी प्रतिवादी द्वारा राजीनामा  
पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।  
राजीनामा अनुसार ग्राम काकटाहरा जमाबन्दी सं

2073-76 में खाता सं. 171 कुल खेता 13 रकबा  
ठीकीया 18 बिस्वा जो प्रतिवादी श्री राजेग के  
नाम दर्ज है मे वादी को खसरेदार घोषित करने  
संग लुका खसरे में वादी का नाम हिरसा बराबर  
मे जोड़ जाने हेतु प्रतिवादी ने सहमती व्यक्त  
की है।

हमने प्लाकी का अवलोकन किया। वाद  
वृद्ध श्री प्रसन्न देवराज जमाबन्दी नकल सेक्टर  
में डिपार्टमेंट सर्वे 2008 के खाते नम्बर 5, 6,  
52, 81 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति होना स्पष्ट  
रूप से प्रमाणित है एवं जमाबन्दी नकल सभत् 2073-76  
में खाता सं. 12) से वादी का नाम छूटना भी जाहीर  
होता है। नकल सेक्टर कुलनात्मक पत्र (फैमिलियल  
रकबा) इन्फोर्मल विभाग से सभत् 2014 से जमाबन्दी  
नकल सभत् 2073-76 में अंकित खसरा नं. के  
पुराने खसरा नं. सभत् 2008 की जमाबन्दी नकल  
में अंकित खसरा नं. होना स्पष्ट है।

अतः प्रस्तुत यजीनामा अनुसार श्री भैरव  
पिता स्व. सोमा श्रीवांग के खसरा नं. को खसरा नं. होना  
जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में वादी श्री भैरव का

नाम प्रविष्टिही शी राजेग के नाम के साथ  
दिसवा बराबर मे जोडे जाने के आदेश  
दिये जाते हैं। डिप्टी जारी हो एवं तदुपलक्ष्य  
दुगरपुर के पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ५/१३/०१ के मध्य  
वकाला मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।  
फावली कैलल शुमार होकर नम्बर से  
कर की जाकर हाविल दफ्तर हो।

1144  
11/11/17

SDO, Rungarh  
(पीछसीन अधिकारी)